प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय डॉ. आई. एम. कुद्दूसी एवं

माननीय जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायाधीशगण

रिट अपील क्रमांक 383/2011

भुवन लाल साहू (अधिवक्ता)

बनाम

लीलाधर प्रसाद चंद्राकर एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 404/2011

लीलाधर प्रसाद चंद्राकर

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

निर्णय हेतु विचारार्थ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-

आई. एम. कुद्दूसी

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति जी. मिन्हाजुद्दीन

मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षरित/-

जी. मिन्हाजुद्दीन

न्यायाधीश

दिनांक 01/03/2012 के लिए सूचीबद्ध करें

हस्ताक्षरित/-

29/02/2012

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय डॉ. न्यायमूर्ति आई. एम. कुद्दूसी एवं

माननीय न्यायमूर्ति जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायाधीशगण

रिट अपील क्रमांक 383/2011

अपीलार्थी: भुवन लाल साहू (अधिवक्ता)

बनाम

प्रत्यर्थीगण: लीलाधर प्रसाद चंद्राकर एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 404/2011

अपीलार्थी: लीलाधर प्रसाद चंद्राकर

बनाम

प्रत्यर्थीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खंड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006

की धारा 2(1) के तहत रिट अपीलें

उपस्थिति:

श्री वाई.सी. शर्मा, अपीलार्थी (रिट अपील क्र. 383/2011) एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 3 (रिट अपील क्र. 404/2011) के अधिवक्ता।

श्री मलय कुमार भादुड़ी, अपीलार्थी (रिट अपील क्र. 404/2011) एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 1 (रिट अपील क्र. 383/2011) के अधिवक्ता।

श्री विनय हरित, राज्य हेतु उप महाअधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(01.03.2012)

डॉ. आई. एम. कुद्दूसी, न्यायाधीश द्वारा-

1. ये अपीलें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 46/2011 (लीलाधर प्रसाद चंद्राकर विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) दिनांक 01 अगस्त, 2011 में पारित आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई हैं, जिसके द्वारा अपीलार्थी भुवन लाल साहू (रिट याचिका में प्रत्यर्थी क्रमांक 3) की नोटरी के पद पर नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया था और यह निर्देशित किया गया था कि रिक्त पद को नए विज्ञापन जारी कर भरा जाए।

   रिट अपील क्रमांक 383/2011 अपीलार्थी भुवन लाल साहू (रिट याचिका में प्रत्यर्थी क्रमांक 3) द्वारा दायर की गई है, जबकि रिट अपील क्रमांक 404/2011 रिट याचिका के याचिकाकर्ता, अपीलार्थी लीलाधर चंद्राकर द्वारा दायर की गई है। चूंकि दोनों अपीलों में समान तथ्य और विधि शामिल हैं, अतः इन्हें इस समान आदेश द्वारा निराकृत किया जा रहा है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि राज्य ने वर्ष 2008 में रायपुर सिविल न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता में नोटरी के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी। विज्ञापन के अनुसरण में, जिला न्यायाधीश, रायपुर ने 124 अधिवक्ताओं की एक सूची तैयार की और पत्र दिनांक 25.10/24.11.2008 के माध्यम से रायपुर सिविल न्यायालय और तहसीलों में नोटरी के छह रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विचार हेतु उनके ज्ञापनों के साथ प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग को प्रेषित किया। अपीलार्थी भुवनलाल साहू का नाम क्रम संख्या 42 पर था। याचिकाकर्ता लीलाधर ने बाद के चरण में एक आवेदन दिया; जिसे 22.01.2009 को ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किया गया था और

इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा 04.02.2009 को राज्य को इस टिप्पणी के साथ प्रेषित किया गया था कि यद्यपि आवेदन देर से प्रस्तुत करने के कारण याचिकाकर्ता का मामला खारिज होने योग्य है, लेकिन चूंकि निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना था, इसलिए ज्ञापन भेज दिया गया था। फिर ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र दिनांक 27.08.2009 के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचित किया गया कि राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता लीलाधर को 5 अन्य व्यक्तियों, जिनके नाम धर्मेंद्र राउत, संतोष सिंह ठाकुर, प्रभुलाल नायक, भूपेंद्र शर्मा और कु. हेमलता सिंह हैं, के साथ नोटरी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर ने ज्ञापन दिनांक 01.09.2009 के माध्यम से अपीलार्थी लीलाधर को सूचित किया कि उनका नाम नोटरी के पद पर नियुक्ति के विचार हेतु अनुमोदित किया गया है और इस प्रकार उन्हें 1000/- रुपये चालान के माध्यम से जमा करने और 500/- रुपये का गैर न्यायिक स्टांप प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ताकि आवश्यक कागजात आगे की कार्यवाही के लिए राज्य को भेजे जा सकें। तदनुसार, उन्होंने 1000/- रुपये का चालान और 500/- रुपये का गैर न्यायिक स्टाम्प जमा किया।

3. इसी बीच, एक अधिवक्ता के. श्रीनिवास ने शिकायत दर्ज कराई कि अपीलार्थी लीलाधर की नियुक्ति दोषपूर्ण थी क्योंकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 06.09.2008 थी और लीलाधर का आवेदन 21.01.2009 को किया गया था, जिसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आपत्ति पर विचार करने के बाद, अपीलार्थी लीलाधर के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी होने से पहले ही उनका नाम हटा दिया गया था।

4. जहाँ तक अपीलार्थी भुवन लाल साहू (रिट याचिका क्रमांक 46/2011 में प्रत्यर्थी क्रमांक 3) का संबंध है, उनका नाम पहले से ही अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची में था। हालाँकि, शासन ने प्रारंभ में नोटरी के पद पर नियुक्ति के लिए उनके नाम को मंजूरी नहीं दी थी। इसके पश्चात, ऐसा प्रतीत होता है कि भुवन लाल साहू ने 30.01.2009 को सीधे मुख्यमंत्री को एक आवेदन दिया जिसे आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव, विधि विभाग को भेज दिया गया। हालाँकि, यह अवलोकित किया गया कि दिनांक 31.01.2009 के आवेदन पर भुवन लाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। यह सूचित किया गया कि यद्यपि उनका नाम पैनल सूची में क्रमांक 42 पर था, लेकिन समीक्षा के बाद उनके अलावा अन्य अधिवक्ताओं को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। तत्कालीन प्रमुख सचिव, विधि विभाग द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 27.7.2010 की टिप्पणी पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि उसमें मुख्यमंत्री की एक टिप्पणी थी जिसमें भुवन लाल की नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. जब अपीलार्थी लीलाधर को कोई नियुक्ति आदेश प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्होंने राज्य सरकार और जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के समक्ष आवेदन किया। पुनः 19.10.2010 को, उन्होंने राज्य को एक अभ्यावेदन दिया जिसमें नोटरी का लाइसेंस जारी करने का अनुरोध किया गया। राज्य ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से उन्हें सूचित किया कि उनके दस्तावेज, चालान और गैर न्यायिक स्टाम्प ज्ञापन दिनांक 20.10.2010 के माध्यम से वापस किए जा रहे हैं। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नोटरी की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में पूरी टिप्पणी पत्र की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया, जिससे उन्हें पता चला कि उनके स्थान पर अपीलार्थी भुवन लाल साहू को दिनांक 08.09.2010 की टिप्पणी के माध्यम से नियुक्त किया गया था और इस आशय का उल्लेख शासकीय अभिलेख की दिनांक 29.09.2010 की टिप्पणी में भी किया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध, याचिकाकर्ता लीलाधर ने राज्य द्वारा अपीलार्थी भुवन लाल साहू के पक्ष में उन्हें नोटरी नियुक्त करने हेतु जारी आदेश दिनांक 08.09.2010 और 29.09.2010 को निरस्त करने की मांग करते हुए रिट याचिका प्रस्तुत की। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका के लंबित रहने के दौरान, आदेश दिनांक 08.04.2011 द्वारा, सिविल न्यायालय, रायपुर में पब्लिक नोटरी के पद पर नियुक्ति के लिए रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के आशय के संशोधन को अनुमति दी गई थी।

6. विद्वान एकल न्यायाधीश ने सिविल न्यायालय, रायपुर में नोटरी के पद पर अपीलार्थी भुवनलाल साहू की नियुक्ति को यह कहते हुए अपास्त कर दिया है कि उनकी नियुक्ति विधि के अनुसार नहीं थी, क्योंकि उनका चयन नहीं हुआ था, यद्यपि उनका नाम 124 उम्मीदवारों के पैनल में क्रमांक 42 पर अंकित था और उनका चयन बाद में अन्य पात्र उम्मीदवारों के दावे की अनदेखी करते हुए मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर किया गया था। हालाँकि, यह आगे भी अभिनिर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ता लीलाधर को भी भुवनलाल साहू की नियुक्ति अपास्त होने से उत्पन्न हुई उक्त रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता लीलाधर का आवेदन विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुआ था और परिणामस्वरूप रिक्त पद को नवीन विज्ञापन जारी करके भरा जाना चाहिए।

7. यह सुस्थापित विधि है कि नोटरी की नियुक्तियाँ नोटरी अधिनियम, 1952 और अधिनियम की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती हैं। इन नियमों को नोटरी नियम, 1956 कहा जा सकता है। नोटरी नियम, 1956 का नियम 4 नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन का प्रावधान करता है जो निम्नानुसार है:

(1) कोई व्यक्ति नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) संबंधित जिला न्यायाधीश या उस न्यायालय या अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के माध्यम से कर सकता है जहाँ वह एक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता है, उस अधिकारी या प्राधिकारी (जिसे इसके बाद समुचित सरकार का "सक्षम प्राधिकारी" कहा गया है) को संबोधित ज्ञापन के रूप में, जैसा कि सरकार इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नामित करे।

(2) नियम 3 के खंड (क) में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा ज्ञापन प्रारूप-I के अनुसार तैयार किया जाएगा और उक्त नियम के खंड (ख) और (ग) में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा प्रारूप-II के अनुसार तैयार किया जाएगा।

(2A) प्रारूप-II में आवेदन करने वाला व्यक्ति ज्ञापन सीधे समुचित सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।

(3) नियम 3 के खंड (क) में उल्लिखित व्यक्ति के ज्ञापन पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे: -

(क) एक मजिस्ट्रेट;

(ख) एक राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रबंधक;

(ग) एक व्यापारी; और

(घ) स्थानीय क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित निवासी जिसके भीतर आवेदक नोटरी के रूप में विधि व्यवसाय करने का आशय रखता है।

नियम 6 के उप-नियम (1) के तहत, सक्षम प्राधिकारी उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक आवेदन की परीक्षण करेगा और यदि वह संतुष्ट है कि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है या आवेदक नियम 3 में निर्दिष्ट योग्यताओं को धारण नहीं करता है, या नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदक के किसी भी पिछले आवेदन को आवेदन की तारीख से छह महीने के भीतर खारिज कर दिया गया था, तो वह उसे संक्षेप में खारिज कर देगा और तदनुसार आवेदक को सूचित करेगा। नियम 6 का उप-नियम (2) यह भी प्रावधान करता है कि यदि सक्षम प्राधिकारी उप-नियम (1) के तहत आवेदन को खारिज नहीं करता है, तो वह, यदि उचित समझे, तो किसी भी बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी या उस क्षेत्र के अन्य प्राधिकारी से, जहाँ आवेदक विधि व्यवसाय करने का प्रस्ताव रखता है, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत की जाने वाली नोटरी के रूप में आवेदक की नियुक्ति के लिए आपत्तियां, यदि कोई हो, सुनिश्चित कर सकता है।

नियम 7(1) भी यहाँ सुसंगत है और नीचे उद्धृत है:

"7. सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश - (1) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी जाँच करने के बाद जो वह समझे और आपत्तियों के विरुद्ध आवेदक को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद, यदि कोई हो, जो नियम 6 के उप-नियम (2) के तहत निर्धारित समय के भीतर प्राप्त हुई हों, उपयुक्त शासन को एक अभिलेख प्रस्तुत करेगा जिसमें सिफारिश की जाएगी कि आवेदक को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. इसके अलावा, यह उल्लेख करना सुसंगत है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कामकाज के संचालन का प्रावधान करता है, जो निम्नानुसार है:

"166. (1) किसी राज्य की सरकार की सभी कार्यपालिक कार्रवाइयाँ राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएँगी।

(2) राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों तथा अन्य लिखतों को ऐसे प्रकार से अधिप्रमाणित किया जाएगा, जैसा कि राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए; और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की वैधता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राज्यपाल द्वारा किया या निष्पादित नहीं है।

(3) राज्यपाल, राज्य की सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक लेन-देन तथा उक्त कार्यों को मंत्रियों में आबंटित करने के लिए नियम बनाएगा।

9. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी भुवनलाल साहू के आवेदन पर मुख्यमंत्री द्वारा जारी की गई टिप्पणी निर्धारित रीति में जारी नहीं की गई है, उसे शासकीय आदेश या निर्देश नहीं माना जा सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री ने अभिलेख नहीं देखा था। इसके विपरीत, फाइल का अध्ययन किए बिना आवेदन पर निर्देश जारी किया गया था। मुख्यमंत्री का उक्त निर्देश अभिलेख का अध्ययन किए बिना या नियमों का पालन किए बिना आवेदन पर दिया गया एक आदेश था, जो दिमाग के अनुप्रयोग के बिना पारित आदेश के समान होगा और इसलिए, यह न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, नोटरी अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में प्रक्रिया निर्धारित की गई है और इसलिए, वैधानिक नियमों का पालन किए बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। किसी व्यक्ति के पक्ष में विधिक अधिकार के अभाव में, परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती और ऐसे मामलों को प्रशासनिक प्राधिकारियों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे इसे आपस में सुलझाएं और इसलिए हम अभिनिर्धारित करते हैं कि ऐसे निर्देश के प्रवर्तन के लिए परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती। इसलिए, हमारी राय के हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने नोटरी के पद पर अपीलार्थी भुवन लाल साहू की नियुक्ति को सही ढंग से निरस्त किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. जहाँ तक अपीलार्थी लीलाधर का संबंध है, उन्होंने अपना आवेदन अंतिम तिथि के बाद प्रस्तुत किया है और इस संबंध में अधिवक्ता के. श्रीनिवास द्वारा आपत्ति जताई गई थी कि अपीलार्थी लीलाधर की नियुक्ति विधिकता गलत थी, इसलिए नियुक्ति आदेश जारी होने से पहले उनका नाम हटा दिया गया था। हमारी यह राय हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही ढंग से अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी लीलाधर भुवन लाल साहू की नियुक्ति निरस्त होने से उत्पन्न रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते क्योंकि लीलाधर का आवेदन विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि के काफी बाद प्राप्त हुआ था।

11. उपरोक्त विवेचना के आलोक में, हमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित अधिनिर्णय दिनांक 01 अगस्त, 2011 में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं मिलता है। तदनुसार, अपीलें स्वीकार योग्य नहीं हैं और खारिज की जाती हैं। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

हस्ताक्षरित/-
आई. एम. कुद्दूसी
न्यायाधीश

हस्ताक्षरित/-
जी. मिन्हाजुद्दीन
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Ritu Sarna Gandhi (Adv.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur